



## माननीय महोदय,


माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेश दिनांक 18.01.2022 के अनुपालन में नीलामी समिति के सदस्यों की बैठक आज दिनांक 19.01.2022 को मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 1:30 बजे आहूत की गयी। सदस्यगण श्री अशोक कुमार सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0, कक्ष सं0-04, कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार आज कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं। श्री अनुरोध मिश्र, विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट वाराणसी उपस्थित आये। कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत बैठक में श्री अशोक कुमार सिंह यादव, विशेष न्यायाधीश, भ्र0नि0अधि0, कक्ष सं0-04 से भी दूरभाष पर वार्ता करते हुये वर्ष 2022-23 के लिए की जाने वाली नीलामी की प्रक्रिया आदि के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया।

केन्द्रीय नाजिर द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर परिसर में स्थित कुल 23 दुकानों व 01 वाहन स्टैण्ड के नीलामी करायी जानी है। केन्द्रीय नाजिर द्वारा यह भी बताया गया कि सभी दुकानों के लिये इस वर्ष की नीलामी दर में होने वाले वृद्धि को रोकने या पुर्नस्थापित किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्रांक 05/XV दिनांकित 03.01.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।


नीलामी समिति के सदस्यगण द्वारा सभी तथ्यों/परिस्थितियों पर विचार विमर्श करते हुये नीलामी की तिथि सर्वसम्मति से दिनांक **25.03.2022** तय किया गया व नीलामी की शर्तें आदि तय की गयी। जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की धनराशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 प्रतिशत न्यूनतम वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। नीलामी की शर्तें अलग प्रपत्र पर माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

  
(अनुरोध मिश्र)  
सदस्य, नीलामी समिति  
विशेष न्याया0, एस0सी0/एस0टी0  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

  
(अशोक कुमार सिंह यादव)  
सदस्य, नीलामी समिति  
विशेष न्याया0, भ्र0नि0अधि0, कक्ष सं0-04  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

  
(संजीव कुमार सिंह)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

Seen  
Approved

  
28/1/22

## जनपद न्यायालय, वाराणसी

### नीलामी अधिसूचना वर्ष 2022-23 के नियम व शर्तें

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय, वाराणसी के परिसर में स्थित दुकानों/स्टालों/ठेकों/साइकिल स्टैंड की वर्ष 2022-23 की नीलामी दिनांक 25.03.2022 को नियत की गयी है, जो कि उक्त दिवस को दीवानी न्यायालय, वाराणसी के मनोरंजन कक्ष में समय 12:00 बजे से सायं 04:00 के बीच सम्पन्न की जायेगी। इस नीलामी की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:-


- 1- नीलामी में भाग लेने वाले जिन व्यक्तियों को इससे पूर्व परिसर में कोई भी दुकान/ठेका आवंटित किया गया था, से सम्बन्धित नीलामी धनराशि अवशेष होने की दशा में उन्हें इस नीलामी में किसी भी दुकान/ठेका की नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 2- नीलामी के लिए आवेदन फार्म मु0 200/- रुपये का भुगतान कर नजारत कार्यालय से दिनांक **24.03.2022** तक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- 3- नीलामी हेतु आवेदनकर्ता को सम्बन्धित दुकान/ठेके की स्वीकृत न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत का बैंक ड्राफ्ट जिला जज, वाराणसी के नाम से बनवाकर प्रतिभूति के रूप में आवेदन फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4- सभी प्रकार से भरे हुए आवेदन पत्र मय प्रतिभूति धनराशि नजारत कार्यालय में दिनांक **24.03.2022** को सायं **05:00 बजे तक** अनिवार्य रूप से प्राप्त करा दिये जाये। इस तिथि के पश्चात कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5- नीलामी के उपरान्त प्रत्येक आवंटियों को वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित धनराशि का 25 प्रतिशत दिनांक **25.03.2022** को ही नजारत कार्यालय में जमा करना होगा। शेष धनराशि को दिसम्बर-2022 तक (तीन बराबर किस्तों में जो जून-2022, सितम्बर-2022 तथा अंतिम किस्त दिसम्बर-2022) में भुगतान करना अनिवार्य होगा। नीलामी की ये किस्ते हर त्रैमास शुरू होने के पूर्व ही जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर ठेका/आवंटन जिला न्यायाधीश के द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 6- नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना हैसियत एवं निवास प्रमाण पत्र, अपने राशन कार्ड, आधार संख्या व किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा इससे संबन्धित मूल प्रपत्र भी मिलान के लिये दिखाना होगा। इन प्रपत्रों के अभाव में किसी व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
- 7- नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा बिना कारण बताये व विशेष परिस्थितियों में उच्चतम बोली को भी अस्वीकार किया जा सकता है।
- 8- किसी भी दशा में प्रत्येक दुकान/ठेको की नीलामी राशि वर्ष 2021-22 की नीलामी की राशि की तुलना में इस वर्ष कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 9- जिस व्यक्ति की अंतिम बोली स्वीकृत की जायेगी, उसे उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर एक संविदा, जो कि मूल्य सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर होगा जो आवंटन प्राप्त कर्ता द्वारा कय किया जायेगा, निष्पादित करनी होगी। संविदा निष्पादित न करने वाले दुकानदार/ठेकेदार को दुकान/ठेका चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आवंटियों को बोली स्वीकृत होते ही स्वयं के नाम कय किया हुआ रू0 100/- का स्टाम्प पेपर नीलामी की तिथि को ही अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

10- प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार अपनी दुकान ठेके में उन्ही वस्तुओं की बिक्री अथवा ठेके का संचालन करेगा, जिसके निमित्त उसे दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, किसी भी दुकानदार/ठेकेदार को अपने हाकर द्वारा न्यायालय परिसर में घूम-घूम कर सामानाधिकारिक कराये जाने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया जा सकता है।


11- प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार को न्यायालय परिसर में जिस स्थान विशेष पर अथवा अितने क्षेत्रफल पर दुकान/ठेका आवंटित किया गया है, उसे उतने क्षेत्रफल एवं उसी स्थिति में ही अपने दुकान/ठेके को चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। आवंटी को अपनी दुकान/ठेके के स्थल की साफ सफाई भी स्वयं रखनी होगी एवं कूड़ेदान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका आवंटन किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। यदि आवंटी किसी सहायक को रख कर अपना काम कराता है तो उसका पहचान पत्र व आधार नज्दरत कार्यालय में जमा करेगा।

12- वर्ष 2022-23 के लिये आवंटित दुकानों/ठेके का आवंटन दिनांक 31.03.2023 को स्वमेव समाप्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में इस अवधि के पूर्व भी माननीय जनपद न्यायाधीश वाराणसी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकता है। आवंटन प्राप्त कर्ता प्रत्येक दुकानदार/ठेकेदार द्वारा अपने अपने ठेके को चलाने के लिए प्राप्त आवंटित स्थल पर यदि कोई निर्माण आवश्यक हो तो जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुमति लेकर ही करेंगे जो कि पूर्णतया अस्थाई होगा, एवं उसे वह दिनांक 31.03.2023 तक आवंटित अवधि के पश्चात् उक्त स्थल से अपने व्यय से हटा लेगा। यदि आवंटितों द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत का उपभोग उनके कार्य के लिए आवश्यक है तो सम्बन्धित आवंटी ही अपने व्यय पर विद्युत कनेक्शन लेगा। आवंटी किसी भी दशा में परिसर में आपूर्ति की जा रही सरकारी विद्युत का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके दुकान/ठेका का आवंटन जनपद न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।


13- यदि किसी कारण वर्ष 2022-23 में अथवा उक्त वर्ष के किसी भी अवधि में न्यायालय बन्द रहता है या किसी कारणवश दुकान/ठेका के खुलने में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसकी कोई जिम्मेदारी माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी की नहीं होगी तथा किसी भी न्यायालयी प्रयोजन हेतु दुकान/ठेके के स्थान को उपयोग करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, वाराणसी को होगा। इसके लिए नीलामी की राशि में कोई छूट नहीं की जायेगी।

  
19/01/22

(अनुरोध मिश्र)  
सदस्य, नीलामी समिति  
विशेष न्याया०, एस०सी०/एस०टी०  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

  
19.1.22

(अशोक कुमार सिंह यादव)  
सदस्य, नीलामी समिति  
विशेष न्याया०, प्र०नि०अधि०, कक्ष सं०-04  
जनपद न्यायालय, वाराणसी

  
19/01/22

(संजीव कुमार सिंह)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति  
जनपद न्यायालय, वाराणसी



**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नीलाम किये जाने हेतु दुकानों का विवरण**

क्रम सं०	नाम दुकान/ठेका	वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि	वर्ष 2022-23 के लिये न्यूनतम बोली (10 प्रतिशत बढ़ा कर)	आवेदन फार्म के साथ जमा होने वाली जमानत धनराशि (ड्राफ्ट के रूप में)
1	चाय की दुकान नं० 2	1,61,000.00	1,77,000.00	18,000.00
2	चाय की दुकान नं० 3	60,000.00	66,000.00	7,000.00
3	फल की दुकान नं० 2	87,000.00	96,000.00	10,000.00
4	फल की दुकान नं० 4	91,000.00	1,00,000.00	10,000.00
5	भूजा की दुकान नं० 1	63,500.00	69,900.00	7,000.00
6	भूजा की दुकान नं० 2	22,100.00	24,500.00	2,500.00
7	भूजा की दुकान नं० 3	68,500.00	75,500.00	8,000.00
8	भूजा की दुकान नं० 4	26,000.00	28,600.00	3,000.00
9	स्टेशनरी की दुकान	48,500.00	53,500.00	5,500.00
10	फोटो ग्राफी स्टाल नं० 1	12,000.00	13,500.00	1,500.00
11	फोटो ग्राफी स्टाल नं० 2	11,500.00	12,500.00	1,500.00
12	हार्ड वेयर की दुकान	23,000.00	25,500.00	3,000.00
13	चरमे की दुकान	23,500.00	26,000.00	3,000.00
14	फोटो स्टेट की दुकान नं० 1	71,500.00	78,700.00	8,000.00
15	फोटो स्टेट की दुकान नं० 3	71,500.00	78,700.00	8,000.00
16	फोटो स्टेट की दुकान नं० 5	71,500.00	78,700.00	8,000.00
17	फोटो स्टेट की दुकान नं० 7	71,500.00	78,700.00	8,000.00
18	फोटो स्टेट की दुकान नं० 8	71,500.00	78,700.00	8,000.00
19	फोटो स्टेट की दुकान नं० 9	77,000.00	84,700.00	8,500.00
20	फोटो स्टेट की दुकान नं०10	71,500.00	78,700.00	8,000.00
21	फोटो स्टेट की दुकान नं०11	53,500.00	58,900.00	6,000.00
22	फोटो स्टेट की दुकान नं०12	75,000.00	82,500.00	8,500.00
23	फल की दुकान नं० 1	वर्ष 2019-20 से वृद्धि की गयी	1,01,500.00	11,000.00
24	साईकिल/वाहन स्टैण्ड	वर्ष 2019-20 से वृद्धि की गयी	13,20,000.00	1,50,000.00

*(हस्ताक्षर)*  
केंद्रीय नॉजिस्टर

जनपद न्यायालय, वाराणसी